अध्याय ।

सीमा शुल्क राजस्व

1.1. सीमा शुल्क की प्रकृति

1.1.1 भारत में माल के आयात पर और भारत से बाहर कतिपय माल के निर्यात पर (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की एंट्री 83) सीमा शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

1.1.2 सीमा शुल्क के शुल्क, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहित किये जाते हैं और शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत शासित की जाती हैं।

1.2. सीमा शुल्क राजस्व आधार

1.2.1 महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के साथ जारी किये गये आयातक और निर्यातक सीमा शुल्क राजस्व आधार में शामिल होते हैं। मार्च 2019 तक 3,00,402 सक्रिय आईईसी[1] थे। वि.व. 19 के दौरान ₹23.08 लाख करोड़ मूल्य के निर्यात (1,33,60,422 लेन-देन) और ₹35.95 लाख करोड़ मूल्य के आयात (1,21,88,592 लेन-देन) किये गये।

1.3. प्रशासनिक विभागों का संगठन और कार्य

1.3.1 वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग (डीओआर), केंद्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी भारत सरकार का सर्वोच्च विभाग है।

1.3.2 पूरे देश में मुख्य आयुक्तों की अध्यक्षता वाले 20 जोनों के माध्यम से सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क के उद्ग्रहण व संग्रहण तथा सीमा-पार निवारक कार्य किये जाते हैं।

1.3.3 डीजीएफटी द्वारा एमओसीआई के अधीन डीओसी उस एफटीपी को प्रतिपादित, कार्यान्वित और मॉनीटर करता है जो निर्यात और व्यापार बढ़ाने

[1] प्रत्येक आयातक/निर्यातक के लिए आईईसी को डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है।

के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति को आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, डीओसी को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध, सेज, राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार सरलीकरण और विकास और कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योग और वस्तुओं के विकास और विनियमन के संबंध में उत्तरदायित्व भी सौंपे गये है।

1.3.4 एफटीपी जो आरए द्वारा लागू किया जाता है निर्यात प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आईईसी प्रदान करने और लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी है। वि.व. 19 के दौरान, पूरे भारत में 38 आरए थे।

1.4. सीमा शुल्क प्राप्तियां

1.4.1 जीएसटी लागू किये जाने से पहले, सीमा शुल्क प्राप्तियों में बीसीडी, सीवीडी और एसएडी शामिल होते थे। सभी आयात शिक्षा उपकर के अधीन भी होते हैं। इसके, अतिरिक्त एंटी-डंपिंग शुल्क और सेफगार्ड शुल्क, जहां कहीं भी लागू है, वहां उद्ग्राह्य है।

1.4.2 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने उपरांत, पैट्रोलियम उत्पादों और एल्कोहल को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के आयात पर सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित कर दिया गया है और इसके स्थान पर आईजीएसटी लागू कर दिया गया है। आईजीएसटी, लागू बीसीडी के अतिरिक्त है जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार उद्ग्रहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कतिपय ऐश्वर्यपूर्ण तथा निषेध माल पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी उद्ग्राह्य होता है। शिक्षा उपकर सहित एंटी-डंपिंग शुल्क और सेफ गार्ड शुल्क का उद्ग्रहण भी अपरिवर्तित रहा।

1.5. बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां

1.5.1 संघ सरकार का राजस्व बजट सरकार के कर और गैर कर राजस्व का बजट अनुमान प्रदान करता है। बजट अनुमान के साथ वास्तविक प्राप्तियों की तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक प्राप्तियां या तो अप्रत्याशित घटनाओं या अवास्तविक अनुमानों के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं।

1.5.2 वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां नीचे तालिका 1.1 में दी गई हैं:

तालिका 1.1: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष	बजट अनुमान ₹ करोड़ में	संशोधित अनुमान ₹ करोड़ में	वास्तविक प्राप्तियां ₹ करोड़ में	वास्तविक और बीई में अंतर	वास्तविक और बीई के बीच प्रतिशत भिन्नता	वास्तविक और आरई के बीच प्रतिशत भिन्नता
वि.व.15	2,01,819	1,88,713	1,88,016	(-)13,803	(-)6.84	(-)0.37
वि.व.16	2,08,336	2,09,500	2,10,338	(+)2,002	(+)0.96	(+)0.40
वि.व.17	2,30,000	2,17,000	2,25,370	(-)4,630	(-)2.01	(+)3.85
वि.व.18	2,45,000	1,35,242	1,29,030	(-) 1,15,970	(-)47.33	(-) 4.59
वि.व.19	1,12,500	1,30,038	1,17,813	(+) 5,313	(+)4.72	(-)9.40

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु संघीय बजट और वित्त लेखे।

1.5.3 वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान आरई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-) 9.40 प्रतिशत से 3.85 प्रतिशत के बीच थी। उक्त अवधि के दौरान ही बीई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-) 47.33 *प्रतिशत* से 4.72 प्रतिशत थी।

1.5.4 वि.व. 19 के दौरान, वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां बीई से 4.72 प्रतिशत (₹5,313 करोड़ तक) अधिक थी, जबकि आरई के मुकाबले उक्त अवधि के दौरान वे 9.4 प्रतिशत (₹12,225 करोड़ तक) कम थी। डीओआर ने कहा (मार्च 2020) कि एक वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न आर्थिक कारकों के आधार को मानकर बीई और आरई निर्धारित किए गए थे और पूरे वर्ष के लिए इन कारकों का अंतिम परिणाम पहले पता नहीं था।

1.6 सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

1.6.1 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल कर राजस्व (जीटीआर) प्राप्तियां और सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राप्तियों की परस्पर वृद्धि को नीचे तालिका 1.2 (क) में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 (क): सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत	जीडीपी (₹ करोड़ में)	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्ति	सकल कर राजस्व (जीटीआर) (₹ करोड़ में)	सकल कर % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर (₹ करोड़ में)	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व.15	1,88,016	9	1,25,41,208	1.5	12,45,135	15.1	5,46,214	34.42
वि.व.16	2,10,338	12	1,35,76,086	1.55	14,55,891	14.45	7,10,101	29.62
वि.व.17	2,25,370	7	1,51,83,709	1.48	17,15,968	13.13	8,62,151	26.14
वि.व.18	1,29,030	(-)43	1,67,73,145	0.76	19,19,183	6.72	9,16,445	14.07
वि.व.19	1,17,813	(-)09	1,90,10,164	0.62	19,68,456	5.99	8,43,177	13.97

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु वित्तीय लेखे

1.6.2 वि.व. 15 से वि.व. 17 तक वर्ष दर वर्ष (वाईओवाई) के आधार पर सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि दर 9 से 12 प्रतिशत के बीच थी**,** परंतु विगत वर्ष के मुकाबले वि.व. 18 और वि.व. 19 में ऋणात्मक प्रवृत्ति दिखाई। **वि.व. 18 और वि.व. 19 में सीमा शुल्क प्राप्तियां**, **पूर्ववर्ती वर्षों के साथ तुलना योग्य नहीं थी क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद सीमा शुल्क प्राप्तियों में**, **सीवीडी और एसएडी को छोडकर केवल बीसीडी शामिल थे**, **जो पहले सीमा शुल्क प्राप्तियों का भाग हुआ करते थे वह अब आईजीएसटी में सम्मिलित हैं।**

1.6.3 जीडीपी को सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता**,** विगत वर्ष वि.व. 18 में 0.76 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 19 के दौरान 0.62 प्रतिशत थी। जीटीआर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 15 में 15.10 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 19 में 5.99 प्रतिशत तक घट गई थी। वि.व. 18 और वि.व. 19 के दौरान जीडीपी/जीटीआर की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों के प्रतिशत में कमी मुख्य रूप से आईजीएसटी में सीवीडी और एसएडी के सम्मिलित होने के कारण थी। वि.व. 15 से वि.व. 17 के दौरान सीवीडी और एसएडी मिलकर सीमा शुल्क प्राप्तियों का 65 से 67 प्रतिशत थे।

कुल अप्रत्यक्ष करों के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 15 में 34 प्रतिशत से वि.व. 19 में 14 प्रतिशत तक घट गई।

1.6.4 वि.व. 19 के दौरान, जीडीपी अनुपात के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियों का अनुपात एक प्रतिशत (0.62 प्रतिशत) से कम था जबकि जीटीआर की

प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 6 प्रतिशत थी। अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 14 प्रतिशत थी।

1.6.5 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने से पूर्व, सीवीडी और एसएडी का हिस्सा जो सीमा शुल्क प्राप्तियों का भाग था, को नीचे तालिका 1.2 (ख) में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 (ख): वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों में सीवीडी और एसएडी का हिस्सा

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	सीवीडी (₹ करोड़ में)	एसएडी (₹ करोड़ में)	(सीवीडी+एसएडी) का जोड़ (₹ करोड़ में)	(सीवीडी+एसएडी) को छोड़कर सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	(सीवीडी+एसएडी) को छोड़कर सीमा शुल्क प्राप्तियों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि	सीमा शुल्क की प्रतिशतता के रूप में (सीवीडी+एसएडी)
वि.व.15	1,88,016	93,245	29,298	1,22,543	65,473		65.18
वि.व.16	2,10,338	1,06,250	30,033	1,36,283	74,055	13	64.79
वि.व.17	2,25,370	1,11,982	39,944	1,51,926	73,444	(-)0.8	67.41
वि.व.18	1,29,030	33,489	9,603	43,092	85,938	17	33.40
वि.व.19	1,17,813	1,835	78	1,913	1,15,900	35	1.62

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु बजट और वित्त लेखे और एमओएफ द्वारा दी गई सूचना

जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद, वि.व. 19 में सीवीडी व एसएडी का प्रतिशत 1.62 प्रतिशत था क्योंकि कुछ वस्तुओं (मोटर स्पिरिट, डीजल और एल्कोहोल) को छोडकर, ये शुल्क जीएसटी में सम्मिलित हो गए है।

(सीवीडी + एसएडी) को छोड़कर सीमा शुल्क प्राप्तियों पर विचार करते हुए, ये वि.व. 15 में ₹65,473 करोड़ से बढकर वि.व. 19 के दौरान ₹1,15,900 करोड़ की हो गई। वि.व. 18 की तुलना में (सीवीडी + एसएडी) को छोड़कर सीमा शुल्क प्राप्तियों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि वि.व. 19 में 35 प्रतिशत थी।

1.7 भारत का आयात और निर्यात

1.7.1 वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान भारत के आयात और निर्यात की वृद्धि की प्रवृति को तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत का आयात और निर्यात

वर्ष	आयात ₹ करोड़ में	विगत वर्ष में वृद्धि प्रतिशत में	निर्यात ₹ करोड़ में	विगत वर्ष में वृद्धि प्रतिशत में	व्यापार असंतुलन ₹ करोड़ में
वि.व.15	27,37,087	0.79	18,96,348	(-) 0.45	(-)8,40,739
वि.व.16	24,90,298	(-) 9.00	17,16,378	(-) 9.49	(-)7,73,920
वि.व.17	25,77,422	3.49	18,52,340	7.92	(-)7,25,082
वि.व.18	30,01,033	16.44	19,56,515	5.62	(-)10,44,518
वि.व.19	35,94,675	19.78	23,07,726	17.95	(-)12,86,949

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.7.2 भारत के आयात का मूल्य वि.व. 18 में ₹30.01 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 19 के दौरान ₹35.95 लाख करोड़ तक हो गया और निर्यात भी वि.व. 18 में ₹19.56 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 19 में ₹23.08 लाख करोड़ हो गया।

वि.व. 16 के दौरान (-) 9 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के बाद वि.व. 17 और वि.व. 18 के दौरान आयातों की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर में वृद्धि हुई। निर्यात में वृद्धि दर भी वि.व. 16 में (-) 9.5 प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 19 में 17.95 प्रतिशत हो गई। वि.व. 18 की तुलना में वि.व. 19 में आयात में 19.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यात में 17.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.7.3 वि.व. 19 के दौरान आयात और निर्यात के रूप के मामले में भारतके शीर्ष व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, यूनाईटेड किंगडम, बांग्लादेश, जर्मनी, नीदरलैंड और नेपाल थे। वि.व. 19 के दौरान शीर्ष दस देशों से आयात और निर्यात का विवरण नीचे चार्ट 1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1: वि.व. 19 के दौरान शीर्ष 10 देशों से आयात की तुलना में निर्यात

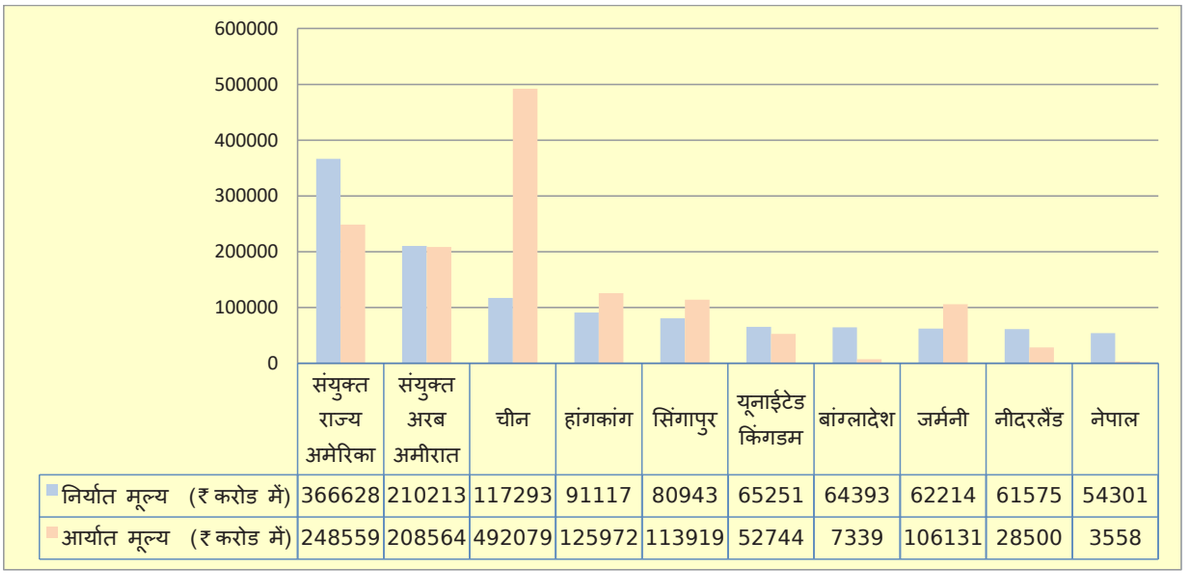

	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त अरब अमीरात	चीन	हांगकांग	सिंगापुर	यूनाईटेड किंगडम	बांग्लादेश	जर्मनी	नीदरलैंड	नेपाल
निर्यात मूल्य (₹ करोड में)	366628	210213	117293	91117	80943	65251	64393	62214	61575	54301
आर्यात मूल्य (₹ करोड में)	248559	208564	492079	125972	113919	52744	7339	106131	28500	3558

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

1.8 वि.व. 19 के दौरान आयात और निर्यात में शीर्ष पांच वस्तुओं हिस्सेदारी

1.8.1 वि.व. 19 में आयात में वृद्धि का नेतृत्व पांच प्रमुख वस्तु समूहों द्वारा किया गया था, नामत:

(i) खनिज ईंधन और उनके आसवन के उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)

(ii) प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, सोना और उसकी वस्तुऐं (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)

(iii) विद्युत मशीनरी और उपस्कर तथा भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 85)

(iv) मशीनरी और उपकरण तथा भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84) और

(v) कार्बनिक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29)

वि.व. 19 के दौरान किए गए कुल आयातों इन वस्तुओं का 68 प्रतिशत हिस्सा था जैसा कि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: वि.व. 19 के दौरान आयात में शीर्ष वस्तुओं की हिस्सेदारी

क्र. सं.	वस्तु	आयात (₹ करोड़ में)	कुल आयात का %
1	खनिज ईंधन, तेल और उनके उत्पाद (सीटीएच 27)	11,74,715	33
2	मोती, कीमती या अर्धकीमती पत्थर और उनसे बनी वस्तुऐं (सीटीएच 71)	4,51,505	13
3	इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपस्कर (सीटीएच 85)	3,64,152	10
4	मशीनरी और उसके भाग (सीटीएच 84)	3,06,368	8
5	कार्बनिक रसायन (सीटीएच 29)	1,56,552	4
6	अन्य	11,41,383	32
	कुल	35,94,675	

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व.19 के दौरान आयात में शीर्ष पांच वस्तुओं की हिस्सेदारी नीचे चार्ट 2 में दर्शायी गई है।

चार्ट 2: वि.व. 19 के दौरान आयात में शीर्ष पांच वस्तुओं का हिस्सा

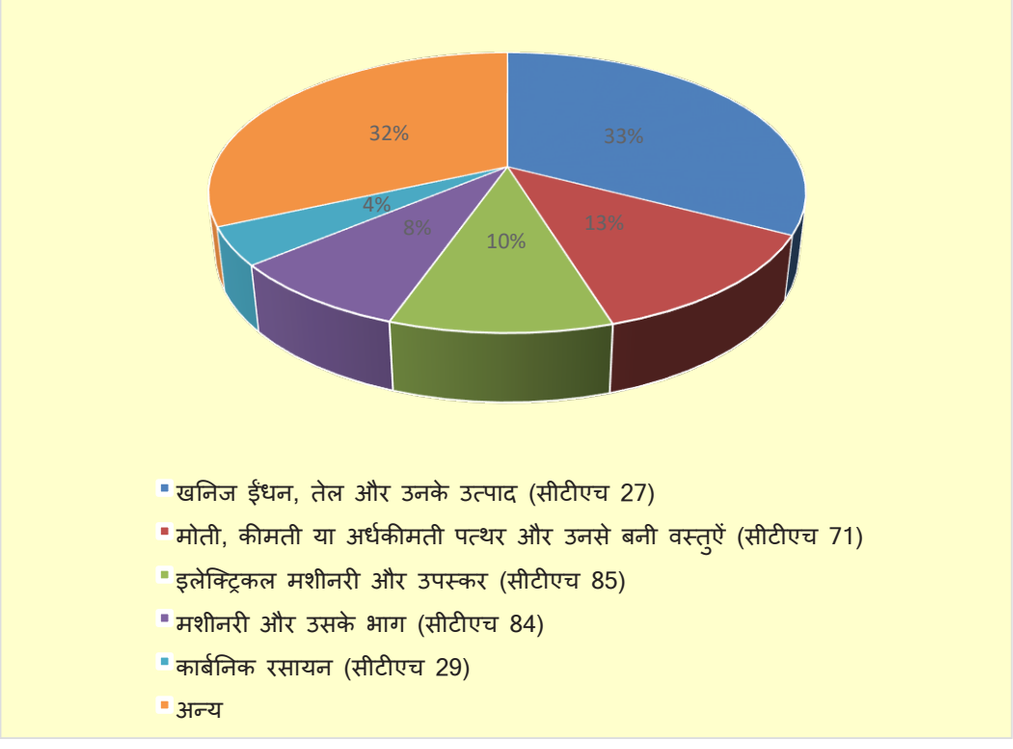

1.8.2 वि.व. 19 के दौरान निर्यात किए गए शीर्ष पांच वस्तुएं निम्नवत् थी:

(i) खनिज ईंधन और उनके आसवन के उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)

(ii) प्राकृतिक या सुवर्धित मोती, कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, सोना और उससे बनी वस्तुएं (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)

(iii) मशीनरी और उपकरण तथा उसके भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84)

(iv) कार्बनिक रसायन (सीमा शुल्क का अध्याय 29) और

(v) अपने सम्बन्धित क्रम में वाहन तथा पुर्जे और उसके सहायक उपकरण (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 87)।

वि.व. 19 के दौरान निर्यात में पांच प्रमुख वस्तुओं की हिस्सेदारी कुल निर्यात का 44 प्रतिशत थी जैसा कि नीचे तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: वि.व. 19 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तुओं की हिस्सेदारी

क्र. सं.	वस्तु	निर्यात (₹ करोड़ में)	कुल निर्यात का %
1	खनिज ईंधन, तेल और उनके उत्पाद (सीटीएच 27)	3,35,474	15
2	मोती, कीमती या अर्धकीमती पत्थर और उनकी बनी वस्तुएं (सीटीएच 71)	2,82,794	12
3	मशीनरी और उसके भाग (सीटीएच 84)	1,46,652	6
4	कार्बनिक रसायन (सीटीएच 29)	1,27,567	6
5	रेलवे के अलावा अन्य वाहन और भाग (सीटीएच 87)	1,26,533	5
6	अन्य	12,88,706	56
	कुल	23,07,726	

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व. 19 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तुओं की हिस्सेदारी को चार्ट 3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3: वि.व. 19 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तुओं का हिस्सा

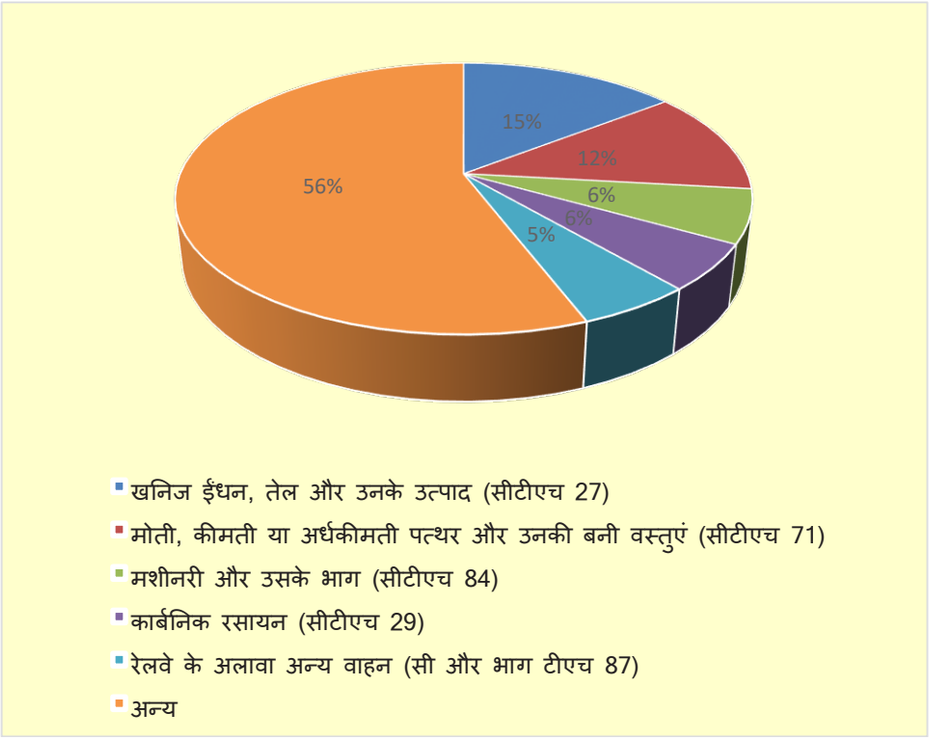

1.9 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निष्पादन

सेज़ नियमों द्वारा समर्थित सेज़ अधिनियम, 2005, 10 फरवरी, 2006 को लागू हुआ था, जिसमें प्रक्रियाओं के सरलीकरण और केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर एकल खिड़की मंजूरी का प्रस्ताव था। सेज़ अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन
- माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना
- रोजगार के अवसरों का सृजन
- बुनियादी सुविधाओं का विकास

जबकि 416 सेज़ को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी, 1 अप्रैल 2019 तक केवल 351 को अधिसूचित किया गया था, जिनमें से केवल 232 सेज़ परिचालित थे **(अनुबंध 1)** जो कि अनुमोदित सेज़ का केवल 55.77 प्रतिशत था।

वि.व. 16 से वि.व. 19 तक की अवधि के लिए सेज़ निष्पादन के तीन मानदंड (i) निर्यात निष्पादन, (ii) निवेश और (iii) रोजगार नीचे तालिका 1.6 में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: सेज़ का निष्पादन

	वि.व.16	वि.व.17	वि.व.18	वि.व.19
निर्यात निष्पादन (₹ करोड़ में)	4,67,337	5,23,637 (12%)*	5,81,033 (11%)*	7,01,179 (21%)*
निवेश (₹ करोड़ में)	3,76,494	4,33,142 (15%)	4,92,312 (14%)	5,07,644 (3%)
रोजगार (व्यक्ति में)	15,91,381	17,78,851 (12%)	19,96,610 (12%)	20,61,055 (3%)

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

* कोष्ठक में आंकड़े वाईओवाई विकास के संकेतक हैं

वि.व. 19 में सेज़ से ₹7.01 लाख करोड़ का निर्यात किया गया जिसमें वि.व. 16 में किए गए निर्यात की तुलना में 50 प्रतिशत (₹2,33,842 करोड़) की समग्र वृद्धि थी। ₹5.81 लाख करोड़ के निर्यात के साथ निर्यात वृद्धि प्रतिशतता वि.व. 18 की तुलना में वि.व. 19 में 21 प्रतिशत थी। निर्यात में वर्ष दर वर्ष वृद्धि पिछले वर्षों **(तालिका 1.6 और अनुबंध 1)** की तुलना में वि.व. 16 में एक प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 19 में 21 *प्रतिशत* हो गई थी।

वि.व. 19 के दौरान सेज़ में कुल ₹5.07 लाख करोड़ का निवेश किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 20.61 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। वि.व. 16 में किए गए ₹3.77 लाख करोड़ के निवेश की तुलना में वि.व. 19 में निवेश में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी अवधि के दौरान सृजित रोजगार में 30 प्रतिशत **(तालिका 1.6 और अनुबंध 1)** की वृद्धि दर्ज की गई थी।

1.10. वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

1.10.1 संग्रहण की लागत सीमा शुल्कों के संग्रहण पर होने वाली लागत है और इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण और अन्य व्यय शामिल हैं।

1.10.2 वि.व. 19 के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 3.75 प्रतिशत थी। वि.व. 15 से वि.व. 19 तक की अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रह की लागत तालिका 1.7 में दी गई है।

तालिका 1.7: वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान संग्रहण की लागत

वर्ष	राजस्व सह आयात/ निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	आरईएस निधि, जमा लेखा में अंतरण और अन्य व्यय	कुल व्यय	सीमा शुल्क प्राप्तियां	सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
वि.व.15	382	2,094	20	2,496	1,88,016	1.33
वि.व.16	412	2,351	36	2,799	2,10,338	1.33
वि.व.17	544	2,771	7	3,322	2,25,370	1.47
वि.व.18	640	3,262	39	3,941	1,29,030	3.05
वि.व.19	743	3,667	9	4,419	1,17,813	3.75

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए केंद्र सरकार के वित्त लेखा

1.10.3 सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त, संग्रहण की लागत 1.33 प्रतिशत (वि.व. 15) से 3.75 प्रतिशत (वि.व. 19) के बीच थी। जीएसटी के लागू करने पर, आयात और निर्यात पर आईजीएसटी सीमा शुल्क विभाग द्वारा उदग्रहित और एकत्र किया जाता है लेकिन आईजीएसटी प्राप्तियां जीएसटी लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की जाती हैं।

1.11 सीमा शुल्क का बकाया

1.11.1 बकाया की वसूली क्षेत्राधिकारिक आयुक्तों की समग्र जिम्मेदारी होती है। उन्हें आयुक्तालयों के भीतर कार्यरत रिकवरी सेल के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करनी होती है। वित्त मंत्रालय के दिनांक 15-12-1997 के परिपत्र के अनुसार, सरकारी बकाया की वसूली करने के उद्देश्य से प्रत्येक सीमा शुल्क आयुक्तालय में एक "रिकवरी सेल (आरसी)" बनाया जाना चाहिए। हर आयुक्तालय के लिए हर साल वसूली लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है।

1.11.2 सीमा शुल्क का बकाया ऐसे शुल्क हैं जिनकी विभाग द्वारा मांग की गई है लेकिन अधिनिर्णयन, विवादित दावों और अनंतिम निर्धारण के लम्बन जैसे विभिन्न कारणों से वसूली नहीं की गई है। 31 मार्च 2019 तक सीमा शुल्क बकाया ₹35,827 करोड़ था।

1.11.3 वि.व. 16 से वि.व. 19 के लिए सीमा शुल्क राजस्व बकाया तालिका 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8: सीमा शुल्क का बकाया

वर्ष	विवाद के तहत सीमा शुल्क का बकाया ₹ करोड़ में	निर्विवाद सीमा शुल्क का बकाया ₹ करोड़ में	कुल ₹ करोड़ में	कुल बकाया के प्रति विवादित बकाया की प्रतिशतता
वि.व.16	12,300	12,322	24,622	49.95
वि.व.17	21,780	4,700	26,480	82.25
वि.व.18	18,836	5,849	24,685	76.31
वि.व.19	27,972	7,855	35,827	78.08

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

1.11.4 वि.व. 18 को छोड़कर, वि.व. 16 से वि.व. 19 के दौरान सीमा शुल्क का बकाया लगातार बढ़ा है। मार्च 2019 (₹35,827 करोड़) को लंबित सीमा शुल्क राजस्व के कुल बकाया में मार्च 2018 (₹24,685 करोड़) को लम्बन की तुलना में 45.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि विभाग बकाया की वसूली के लिए सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है।

वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 19 में सीमा शुल्क के समग्र बकाया में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1.11.5 कुल बकाया राशि के प्रति अनुपात के रूप में विवाद के तहत बकाया राशि वि.व. 16 में 50 प्रतिशत से वि.व. 19 में 78 प्रतिशत बढ़कर ₹35,827 करोड़ हो गई। वि.व. 19 में पिछले वर्ष वि.व. 18 से निर्विवाद बकाया में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

वि.व. 19 के दौरान वसूल किए गए सीमा शुल्कों के बकाया का ब्यौरा सीबीआईसी से मांगा गया है, जिसका जवाब (जुलाई 2020) प्रतिक्षित था।

1.11.6 वि.व. 19 के दौरान कुल 23 जोन (11 सीमा शुल्क आयुक्तालयों और 12 संयुक्त आयुक्तालयों (सीमा शुल्क और जीएसटी) में से 10 जोनों में लम्बित कुल बकाया (₹35,827 करोड़) का 87 प्रतिशत (₹31,084 करोड़) बनता था, जैसा कि नीचे तालिका 1.9 में दिखाया गया है।

तालिका 1.9: 31 मार्च 2019 तक सीमा शुल्क राजस्व का जोन वार बकाया

क्र. सं.	मुख्य आयुक्त जोन	विवाद के तहत राशि	राशि निर्विवाद	31.03.19 को लंबित राशि
		₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
1	मुंबई II सी.शु.	9,708	1,571	1,1279
2	अहमदाबाद सी.शु.	4,248	720	4,968
3	दिल्ली सी.शु.	1,828	1,336	3,164
4	मुंबई III सी.शु.	1,986	128	2,114
5	भोपाल सीई और जीएसटी	950	1,109	2,059
6	बैंगलोर सी.शु.	1,769	126	1,895
7	कोलकाता सी.शु.	1,049	513	1,562
8	चेन्नई सी.शु.	1,127	424	1,551
9	मुंबई-I सी.शु.	1,239	143	1,382
10	विशाखापट्टनम सीई और जीएसटी	998	112	1,110
	उप कुल	**24,902**	**6,182**	**31,084**
11	**अन्य**	**3,070**	**1,673**	**4,743**
	कुल योग	***27,972***	***7,855***	***35,827***

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

1.11.7 मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, मुंबई-II के पास वि.व. 19 में सीमा शुल्क की सबसे अधिक बकाया राशि थी, इसके बाद अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई-III और भोपाल सीमा शुल्क/सीई-जीएसटी जोन इस क्रम में थे।

1.11.8 31 मार्च 2019 तक लंबित निर्विवाद बकाया (₹7,855 करोड़) कुल बकाया (₹35,827 करोड़) का 22 प्रतिशत था जो यह दर्शाता है कि विभाग निर्विवाद बकाया राशि की वसूली के लिए सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है।

1.11.9 निर्विवाद बकाया राशि के वर्षवार विश्लेषण से पता चला कि कुल ₹7,855 करोड़ में से ₹2,494 करोड़ (32 प्रतिशत) की पांच साल से अधिक समय तक वसूली नहीं की गई थी। ₹1,663 करोड़ की राशि का दस वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित रहना यह संकेत देता है कि विभाग के वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

तालिका 1.10: वि.व. 14 से वि.व. 19 तक सीमा शुल्क राजस्व का वर्षवार बकाया

	विवाद के अंतर्गत राशि (*)				राशि विवाद के अंतर्गत नहीं (*)				
वर्ष	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन < 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल (कॉलम 2+3+4)	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन < 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल (कॉलम 6+7+8)	कुल योग (कॉलम 5+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वि.व.14	9,703	1,890	429	12,022	3,321	1,818	825	5,964	17,986
वि.व.15	12,430	1,813	355	14,597	2,951	2,082	1,178	6,211	20,808
वि.व.16	8,681	2,494	1,125	12,300	5,162	4,714	2,446	12,322	24,622
वि.व.17	17,919	2,716	1,145	21,780	2,538	1,245	917	4,700	26,480
वि.व.18	15,554	2,279	1,005	18,836	3,931	980	938	5,849	24,685
वि.व.19	24,670	2,373	929	27,972	5,361	831	1,663	7,855	35,827

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद और सेवाएं

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

1.12.1 सीबीआईसी और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा में महानिदेशक लेखापरीक्षा {डीजी (ऑडिट)} द्वारा की गई तकनीकी लेखापरीक्षा और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआरसीसीए) द्वारा किए गए भुगतान और लेखाओं की लेखापरीक्षा शामिल है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक (लेखापरीक्षा) होते है उनके अधीन अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में सात जोनल इकाइयां आती हैं जिसका प्रत्येक का अध्यक्ष अतिरिक्त महानिदेशक होता है। डीजीए की हर जोनल इकाई का उनके अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्तालयों की जोनल इकाइयों पर क्षेत्रवार क्षेत्राधिकार का नियंत्रण होता है।

1.12.2 वि.व. 19 के लिए महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा नियोजित और संचालित आंतरिक लेखापरीक्षा की तकनीकी श्रेणी का ब्यौरा सीबीआईसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.12.3 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीआईसी और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं के भुगतान और लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। 2018-19 के दौरान प्र. सीसीए द्वारा की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सीबीआईसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2019 तक ₹9,040 करोड़[2] की

[2] प्र. सीसीए सं. आईए/एनज़ेड/मुख्यालय/सीएजी/सूचना/2017-18/366 दिनांक 18 फरवरी 2020

137 अभ्युक्तियां लंबित थीं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अनियमितताएं शामिल थीं:

क) सरकारी विभाग/राज्य सरकार के निकायों/ निजी ईकाईयों/स्वायत्त निकायों से वसूल नहीं किए गए देय; ₹7,383 करोड़;

ख) सरकारी धन का अवरोधन; निष्फल व्यय, अनियमित खरीद/व्यय आदि के कारण ₹314 करोड़

1.13 कर अपवंचन और जब्ती

1.13.1 राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या वि.व. 15 में 407 से बढ़कर वि.व. 19 में 752 हो गई जबकि उसी अवधि के दौरान मूल्य ₹2,926 करोड़ से बढ़कर ₹6,228 करोड़ हो गया **(अनुबन्ध 2)** । तथापि, वि.व. 19 के दौरान पता लगाए गए मामलों में की गई वसूली का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.13.2 अपवंचन के मामलों में शामिल प्रमुख वस्तुएं सोना, विदेशी और भारतीय मुद्रा, मादक पदार्थ, हीरे और कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक मदें (कंप्यूटर पार्ट्स सहित), कपड़ा और घड़ियां थीं।